

हत्या के मामले से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना मे प्रयुक्त लोहे की राँड, लाठी व फावड़ा बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.10.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मझवांरा मोड़ के पास समय करीब 00:05 बजे मु0अ0सं0 514/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 103(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. संदीप चौहान पुत्र प्रकाश चौहान 2. विशाल चौहान पुत्र राजेश चौहान 3. समरजीत चौहान पुत्र रामचन्द्र चौहान समस्त निवासीगण कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त लाठी, डण्डा व फावड़ा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। तथा चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.10.2025 को प्रार्थी गोविन्द चौहान पुत्र स्वर्गीय नगेन्द्र चौहान ग्राम कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा पटाखा फोडने के बात को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी/प्रार्थी गोविन्द चौहान के परिवार के सदस्यों को मारने पीटने तथा अजय चौहान को लाठी डण्डा व फावड़ा से मारने से अस्पताल मे मृत्यू हो गयी।

अभियुक्त का विवरण-

1. संदीप चौहान पुत्र प्रकाश चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।
2. विशाल चौहान पुत्र राजेश चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।
3. समरजीत चौहान पुत्र रामचन्द्र निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 514/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 103(1) बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. 3 अदद लोहे का चौकोर राड
2. 2 अदद फावडा
3. 6 अदद बांस/लाठी
4. एक अदद मुसर वाली लकड़ी

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. निरीक्षक अपराध मोती लाल पटेल थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. उ.नि.सूरज सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. उ.नि.आकश श्रीवास्तव थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. हे.का.अजय कुमार यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
6. हे.का.संदीप संगम थाना घोसी जनपद मऊ ।
7. हे.का.सुनील यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
8. का.विकाश वर्मा थाना घोसी जनपद मऊ ।
9. हे.का.मनोज यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
10. का0 प्रशान्त यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
11. का.अमित कुमार थाना घोसी जनपद मऊ ।
12. का.दिनेश कुमार थाना घोसी जनपद मऊ ।

गुमशुदा/खोए कुल 06 अदद मोबाइल फोन लगभग 160,000 (एक लाख साठ हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिण टोला साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना दक्षिण टोला में गुमशुदा 05 अदद मोबाइल फोन लगभग 80,000 (अस्सी हजार) रुपये आवेदक संध्या सोनकर (ओपो ए3 प्रो), शहनाज बानो (रेडमी नोट7 प्रो.), ताबीश कमाल(सैमसंग एफ15), मुकेश मद्धेशिया(ओपो एफ 15 प्रो.), संतोष कुमार(ओपो ए18) थाना दोहरीघाट द्वारा गुमशुदा 01 मोबाइल फोन (एस24) कीमत लगभग 80.000 रुपये आवेदक अवधेश चौहान पुत्र लाल बचन चौहान निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया

गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दक्षिण टोला व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. प्र०नि० धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ ।
2. क०आ० नवनीत पाण्डेय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ ।
3. का० कुलदीप कुमार पटेल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ ।
4. म०का० प्रीती सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ ।

धोखाधड़ी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना ग्राम पहसा से समय 07:10 बजे मु०अ०स० 331/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस संबंधित अभियुक्त पीयूष कुमार गुप्ता उर्फ मोनू सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम सिकड़ी कोल थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक न० (UP54 DT 9454) बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया व बरामद ट्रक को अर्न्तगत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

उल्लेखनीय है कि वादी श्री अजय दूबे पुत्र चन्द्रकान्त दूबे निवासी वार्ड नं० 19 रक्सौल थाना रक्सौल जिला मोतिहारी राज्य बिहार द्वारा, 3050 कार्टून राजहंस ब्रान्ड सोयाबीन रिफाईन्ड तेल दिनांक 07.10.2025 को UP53DT9454 नम्बर की टेलर गाडी से जय अम्बेट्रेडिंग बैरिया डालटेनगंज झारखण्ड GST NO 20AB0PA9390EIZU को भेजे जाते समय रास्ते में ही सम्पूर्ण तेल का गबन कर लिया था ।

उक्त प्रकरण के संबंधित एक अभियुक्त को दिनांक 19.10.2025 को जेल भेजा जा चुका है जिसके कब्जे स 26 लाख रुपये का रिफाईन्ड तेल भी बरामद किया जा चुका है ।

अभियुक्त का विवरण -

1. पीयूष कुमार गुप्ता उर्फ मोनू सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम सिकड़ी कोल थाना मधुबन जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0स0 331/2025 धारा 318(4), 316(2) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ ।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक बरामद ।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ ।
2. का0 नीरज यादव थाना मधुबन जनपद मऊ ।
3. का0 संदीप यादव थाना मधुबन जनपद मऊ ।
4. का0 पंकज यादव थाना मधुबन जनपद मऊ ।

विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गयी 40000/- रु0 कुल धनराशि (चालीस हजार) रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के द्वारा खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 40,00 (चालीस हजार) रुपये, पीडित प्रशान्त गुप्ता निवासी नवापुरा चौक थाना दोहरीघाट आवेदक के कुल धनराशि 40,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना दोहरीघाट
2. क0आ0 सुनील कुमार थाना दोहरीघाट
3. का0 चन्दन कुमार थाना दोहरीघाट
4. म0का0 रेखा थाना दोहरीघाट

01 वांछित शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी करते हुए प्रयुक्त 01 अदद कंबल बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ब्रम्हास्थान के पास से मु0अ0सं0 341/25 धारा 305(a)/331(4), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद मऊ वाछित चल रहा अभियुक्त विकास कुमार गुप्ता उर्फ बिहारी पुत्र बनारसी प्रसाद निवासी बेदुआ थाना कोतवाली बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. विकास कुमार गुप्ता उर्फ बिहारी पुत्र बनारसी प्रसाद निवासी बेदुआ थाना कोतवाली बलिया

अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा रेकी कर सूने/ बंद पड़े घरों को निशाना बनाकर चोरी करना।

अपराधिक इतिहास-

- i. मु0अ0सं0 341/25 धारा 305(a)/331(4), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद मऊ
- ii. मु0अ0सं0 303/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद मऊ
- iii. मु0अ0सं0 65/25 धारा 2, 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद बलिया
- iv. मु0अ0सं0 20/24 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि0 थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया

- v. मु0अ0सं0 145/24 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि0 थाना बांसडीह रोड
जनपद बलिया
- vi. मु0अ0सं0 152/24 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि0 थाना बांसडीह रोड
जनपद बलिया
- vii. मु0अ0सं0 156/24 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि0 थाना बांसडीह रोड
जनपद बलिया
- viii. मु0अ0सं0 235/24 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद
बलिया
- ix. मु0अ0सं0 279/24 धारा 380, 411, 413, 457 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद
बलिया
- x. मु0अ0सं0 606/23 धारा 380, 411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बलिया
- xi. मु0अ0सं0 623/23 धारा 380, 411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बलिया
- xii. मु0अ0सं0 636/23 धारा 380, 411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बलिया
- xiii. मु0अ0सं0 640/23 धारा 380, 411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बलिया

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ.नि. जितेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 धीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का. सत्येन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का. नितिन यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का. रवि किरण सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ